

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

सं०-03/आ०1-04/2022 ~~1/358762~~/श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, सीतामढ़ी-सह-तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, डायट, डुमरा, सीतामढ़ी सम्प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, गोपालगंज को आरक्षण रोस्टर का उल्लंघन कर पदों का नियम विरुद्ध वितरण करने, नियम विरुद्ध नामांकन की प्रक्रिया अपनाने, चयनित अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग हेतु दी गई सूचना संदेहास्पद होने, सत्र-2020-22 के नामांकन में अनियमितता बरतने, वरीय व्याख्याता पर कम अंक वाले अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु दबाव देने, सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराने वाली संस्था के चयन में वित्तीय अनियमितता, वेबसाइट मेंटेनेन्स हेतु संस्थानों के चयन में अनियमितता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों में विभागीय संकल्प संख्या-365 दिनांक 20.07.2023 द्वारा "i. निन्दन एवं ii. संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि को रोकने" की लघु शास्ति अधिरोपित की गयी। इनके द्वारा दण्ड के संबंध में पुनर्विलोकन अर्जी दायर किया गया है।

2. समीक्षा में पाया गया है कि श्री मुकेश कुमार पर आरक्षण रोस्टर का उल्लंघन और वित्तीय अनियमितता के आरोपों के लिए उक्त शास्ति अधिरोपित की गई है। इनका पुनर्विलोकन अर्जी एक तो निर्धारित समय सीमा के काफी बाद प्राप्त हुआ है तो दूसरे, इसमें कोई वैशिष्टिक या नया तथ्य अंकित नहीं है। तदनुसार इनका पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकृत करने योग्य नहीं पाया गया है।

3. अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, सीतामढ़ी-सह-तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, डायट, डुमरा, सीतामढ़ी सम्प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, गोपालगंज पर पूर्व में अधिरोपित शास्ति पर संपुष्टि प्रदान करते हुए इनके पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार आलोच्य पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

4. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक-03/आ०1-04/2022 ~~1/358762~~/पटना, दिनांक- ~~05/02/2026~~

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै०दा०नि० कोषांग) वित्त विभाग, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज/श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन प्राधिकृत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, सीतामढ़ी-सह-तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, डायट, डुमरा, सीतामढ़ी सम्प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, गोपालगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 शिक्षा विभाग एवं आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

Manojan Kumar

Date: 03-02-2026 18:39:30